NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)

No : 240/NCRES/09/21 Date : 13.12.2021

श्रीमान महाप्रबंधक (कार्मिक)
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः– Meeting for Elimination of line Box

महोदय,

रनिंग स्टाफ के लाइन बाक्स को हटाने के संबध मे दिनांक 10.12.2021 को बुलाई गई बैठक मे मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, जिसमे NCRES के महामंत्री श्री आर. पी. सिहं के अलावा आगरा मंडल, झांसी मण्डल एवं प्रयागराज मण्डल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

आगरा मण्डल के के मण्डल सचिव श्री अक्षय कान्त शर्मा, झांसी मंडल के मंडल सचिव श्री भानु प्रताप सिंह चंदेल व प्रयागराज मंडल के मंडल सचिव श्री चन्दन कुमार ने उपरोक्त विषय पर अपना विचार व्यक्त करते हुये कहा कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे का सिद्धान्त – संरक्षा, सुरक्षा, समय पालन और मिशन शून्य स्पैड है जिसको सफल बनाने की प्रथम जिम्मेदारी रनिंग स्टाफ की है।

इसलिये रेल प्रशासन की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि मिशन को पूरा करने मे रनिंग स्टाफ को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराये कि रनिंग स्टाफ स्वस्थ रहकर, तनाव रहित, पूर्ण विश्राम करके प्रसन्नचित मन से कार्य पर आये, जिससे वह शत–प्रतिशत एकाग्रता के साथ कार्य करके संरक्षित एवं सुरक्षित रेल संचालन का कार्य पूरा कर सके।

कृपया निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाय।

(1) प्रधान कार्यालय के पत्र दिनांक 18.11.2021 मे जो वजन दर्शाया गया है उससे NCRES सहमत नहीं है।

(2) लोको पायलट/गार्ड के द्वारा अपने निजी उपयोग का लगभग 10 किलो ग्राम का बैग स्वयं उठाकर यार्ड एवं असमतल भूमि पर चलना होता है एवं मालगाडी क्रू को सेक्सन मे आने एवं जाने के दौरान मौसम के अनुसार दो से पांच लीटर पानी तथा MTRC, 3 Cell Torch, FSD, Drain Plug opener, Caution Pad इत्यादि सामान लेकर चलना होता है, और 40/45 वर्ष की उम्र तक पहुंचते–पहुंचते अधिकांश रनिंग स्टाफ को कुछ न कुछ शारीरिक समस्यायें कष्ट देने लगती है, इसलिये इस स्थिति में रनिंग स्टाफ के द्वारा अपने सामान व बैग के साथ ट्राली बैग लेकर स्टेशन से रनिंग रूम एवं रनिंग रूम से स्टेशन आना सम्भव नही है। अतः लाइन बाक्स जरूरी है।

(3) गार्ड विशेषकर गुड्स गार्ड को जिसका ब्रेकवान का दरवाजा भी बंद नहीं हो पाता है, सेक्सन मे कोई असामान्य घटना होने पर कैसे ट्राली बैग को अपने साथ उठाकर ट्रैक पर चलेगा, ड्यूटी से पहले चेक करते समय यार्ड मे तथा "रोड साइड" पर GDR बनाते समय कैसे साथ ट्राली बैग ढोयेगा ? इसलिये लाइन बाक्स जरूरी है।

(4) 'डेटोनेटर्स.' एक " एक्सप्लोसिव" एजेन्ट है जिसे "लूज" अवस्था मे बैग या ट्राली मे ले जाना बेहद खतरनाक है, इसमे पोटैसियम क्लोराइड काफी खतरनाक है और चीनी के साथ मिलकर फट सकता है, इस स्थिति में 'डेटोनेटर' लूज अवस्था में ले जाना गार्ड/ड्राइवर की जान के लिये खतरनाक हो सकता है। अतः लाइन बाक्स जरूरी है।

(5) मालगाड़ी में गार्ड/ब्रेकवान में शौचालय में पानी नही होता है, इंजन में शौचालय ही नही होता है इसलिये दो लीटर अतिरिक्त पानी भी लेकर चलना पड़ता है। इसलिये लाइन बाक्स जरूरी है।

(6) आज लाबी, रनिंग रूम और यार्डो की भौगोलिक संरचना ऐसी नही है कि, सुगमता से पहिये वाला बैग लेकर पहुँचा जा सके, **इसलिये लाइन बाक्स हटाने के निर्णय से NCRES सहमत नही है।**

NCRES का आग्रह है कि, रनिंग स्टाफ जो संचालन का अग्रदूत है को तनाव रहित रहने दिया जाय जिससे संरक्षित व सुरक्षित संचालन होता रहे।

उपरोक्त परिस्थितियों के बावजूद वर्तमान बदलते परिवेश में यदि प्रशासन लाइन बाक्स को हटाना चाहता है तो "कामन लाइन बाक्स" लोको/ब्रेकवान में रखने की और रनिंग स्टाफ को "कामन लाइन बाक्स" के सुरक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त रखा जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री